न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 194 / 2023   तारीख रजू 29.08.2023

जीसीएमएस नं0. 2023 / 402

उनवान

कृष्णकुमार शर्मा पुत्र रघुनन्दन शर्मा उम्र 62 साल जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)

अप्रार्थी / वादी

बनाम

1. शक्तिसिंह उम्र 58 साल पुत्र—गोविन्दसिंह
2. वीरबहादुर उम्र 65 साल पुत्र—सोहनसिंह
3. तेजवीरसिंह पुत्र शिवदयाल

जाति—राजपूत, निवासी—सूरौठ जिला—करौली (राज0)

4. राज्य सरकार जरए जिला कलक्टर जिला करौली (राज0)

प्रार्थी / प्रतिवादी

दावा बावत् इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति 1 श्री अशोक नीमनका वादीगण / अप्रार्थी
2 श्री पुरूषोत्तम गोयल वकील प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण

निर्णय   दिनांक:— 28.05.2024

पत्रावली पेश हुई उभयपक्षकारान अभिभाषक उपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी ने खिलाफ प्रतिवादीगण धारा 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 2043 रकवा 18 ऐयर, 2044 रकवा 07 ऐयर कुल किता 02 कुल रकवा 25 ऐयर स्थित कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ का वादी खातेदार काश्तकार है। एवं इसी प्रकार खातेदारी के कॉलम में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है, आराजी खसरा नं0 2100 रकवा 08 ऐयर, 2102 रकवा 55 ऐयर, 2043 रकवा 18 ऐयर, 2044 रकवा 07 ऐयर कु[illegible] 4 कुल रकवा 88 ऐयर स्थित कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी [illegible] कर रहे हैं। तथा भूमि पर प्रतिवादी 1 ता 3 एकराय हो[illegible] साथ आये और ज[illegible]कब्जा करने एवं बेदखल करने, रहनवय नहीं करने पर आमादा [illegible] बावत् पेश किया है। [illegible] वादी दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण को जरिये संम्मन तलब करने पर प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी के द्वारा आराजीयात खसरा नं0 2044 रकवा 07 ऐयर व खसरा नं0 2043 रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

वादी के नाम कभी नहीं रहा है, वादी का उक्त दावा में यह कथन कि सोहनसिंह राजपूत, रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राहमण के मौखिक बेचान कर उक्त बेचान के कब्जे के अन्तरण की लिखापढी बतौर याददाश्त एक सौ रूप्ये के स्टाम्प पर की जाकर वादी के हवाले करना बताया है। उक्त क्षेत्र में यह कहीं नहीं बताया है कि उक्त स्टाम्प कब और कहाँ अन्यत्र रखांई आ गया है, उक्त दावा में वादी द्वारा उक्त लिखापढी स्टाम्प पर बतायी है इसलिए वादी को राजस्व न्यायालय में क्षेत्राधिकार प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय में दावा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में उक्त दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट कर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी ने इस प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया।

अभिभाषकगणों की बहस सुनी, वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने बहस कथन में प्रार्थना पत्र मे अंकित कथन को दौहराते हुए कथन किया कि वादी के द्वारा आराजीयात खसरा नं0 2044 रकवा 07 ऐयर व खसरा नं0 2043 रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ वादी के नाम कभी नहीं रहा है, वादी का उक्त दावा में यह कथन कि सोहनसिंह राजपूत, रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राहमण के मौखिक बेचान कर उक्त बेचान के कब्जे के अन्तरण की लिखापढी बतौर याददाश्त एक सौ रूपये के स्टाम्प पर की जाकर वादी के हवाले करना बताया है। उक्त क्षेत्र में यह कहीं नहीं बताया है कि उक्त स्टाम्प कब और कहाँ अन्यत्र रखांई आ गया है, उक्त दावा में वादी द्वारा उक्त लिखापढी स्टाम्प पर बतायी है इसलिए वादी को राजस्व न्यायालय में क्षेत्राधिकार प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय में दावा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में उक्त दावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट कर/खारिज कर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने बहस कथन में कथन कहा कि आराजी आराजी खसरा नं0 2043 रकवा 18 ऐयर, 2044 रकवा 07 ऐयर कुल किता 02 कुल रकवा 25 ऐयर स्थित कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ का वादी खातेदार काश्तकार है। एवं इसी प्रकार खातेदारी के कॉलम में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को खारिज करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावा का निस्तारण फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि वादी द्वारा जो दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 29.08.2023 को न्यायालय में पेश किया गया जबकि दावा में वादी के द्वारा आराजीयात खसरा नं0 2044 रकवा 07 ऐयर व खसरा नं0 2043 रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ वादी के नाम कभी नहीं रहा है, वादी का उक्त दावा में यह कथन कि सोहनसिंह राजपूत, रामदयाल पुत्र [illegible] कर उक्त बेचान के कब्जे के अन्तरण की लिखापढी बतौर याददाश्त [illegible] के स्टाम्प पर की जाकर वादी के हवाले करना बताया है। उक्त [illegible] उक्त स्टाम्प कब और कहॉ अन्यत्र रखवाया गया है, उक्त [illegible] लिखापढी स्टाम्प पर बता कर स्टाम्प की लिखा पढी दिनांक 16.07.2004 से विवादित [illegible] खसरा नं0 2043 व 2044 पर कब्जे में आने का तथ्य कहा है जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार जहाँ पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की संविदा है तो वहाँ सभी मामले संवीदा की पालना के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई के क्षेत्राधिकार में हैं। इसलिए वादी को राजस्व न्यायालय में क्षेत्राधिकार प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

दावा करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का कानून निम्न प्रकार से है:–

वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(क) जहाँ वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन का ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। (परन्तु मूल्यांकन की शुद्वि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नही बढाया जायेगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान नही हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।)

उपरोक्त विवेचन करने पर यह साबित हो गया है कि वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा पेश किया गया है जिसे मुताबिक कानूनन सुना जाना न्याय संगत नहीं है। ऐसा कोई ठोस साक्ष्य वादी/अप्रार्थी ने पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वादी का वर्तमान में आराजी खसरा नं0 2100 रकवा 08 ऐयर, 2102 रकवा 55 ऐयर, 2043 रकवा 18 ऐयर, 2044 रकवा 07 ऐयर कुल किता 04 कुल रकवा 88 ऐयर स्थित कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी के कब्जाकाश्त की भूमि पर काश्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा वर्तमान में कब्जा होने (एडवर्स पजेशन) के मौखिक तथ्यों के आधार पर पेश करने के कारण, पत्रावली पर इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण, तथा विवादित भूमि के संविदा के प्रकरणों में संविदा की पालना के बावत् केवल सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में मौखिक बेचान करने के आधार पर वादी खातेदारी का दावा लेकर आया है ऐसी स्थिति वादी का वाद [illegible] नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 [illegible] खिलाफ वादी/अप्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा दावा [illegible] शर्मा बनाम शक्तिसिंह को इसी स्टेज पर रिजेक्ट कर खारिज किया [illegible] पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

28/5/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, R.A.S.

मुकदमा नम्बर 194/2023 तारीख रजू 29.08.2023

जीसीएमएस नं0. 2023/402

उनवान

कृष्णकुमार शर्मा पुत्र रघुनन्दन शर्मा उम्र 62 साल जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)

अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. शक्तिसिंह उम्र 58 साल पुत्र–गोविन्दसिंह
2. वीरबहादुर उम्र 65 साल पुत्र–सोहनसिंह

जाति–राजपूत, निवासी–सूरौठ जिला–करौली (राज0)

3. तेजवीरसिंह पुत्र शिवदयाल
4. राज्य सरकार जरए जिला कलक्टर जिला करौली (राज0)

प्रार्थी/प्रतिवादी

दावा बावत् इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मुकदमा नं0 194/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री पुरूषोत्तम गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा वर्तमान में कब्जा होने (एडवर्स पजेशन) के मौखिक तथ्यों के आधार पर पेश करने के कारण, पत्रावली पर इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण, तथा विवादित भूमि के संविदा के प्रकरणों में संविदा की पालना के बावत् केवल सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में मौखिक बेचान करने के आधार पर वादी खातेदारी का दावा लेकर आया है ऐसी स्थिति वादी का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खिलाफ वादी/अप्रार्थी [illegible]कार किया जाता है तथा दावा संख्या 194/2023 उनवानी कृष्णकुमार [illegible] स्टेज पर रिजेक्ट कर खारिज किया जाता है पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं [illegible]रेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आ[illegible] तारीख 28.05.2024..को यह डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:09:08 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 28/5/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली